न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर0ए0एस0

राजस्व आवेदन संख्या 31/2022

प्रार्थीगणः–

1. सत्यनारायण सोनी पुत्र आईदानराम जाति सोनी निवासी अरट का जाव सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.

विप्रार्थीगणः–

1. मोहनराम पुत्र पूनमाराम
2. खंगारसिंह पुत्र पूनमाराम
3. विशनसिंह पुत्र पूनमाराम
4. मूलसिंह पुत्र पूनमाराम
   जातियान राजपुरोहित निवासीगण लूदारडा तहसील सिवाना
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः–

1. **श्री कपिल श्रीमाली प्रार्थी अधिवक्ता**
2. **श्री ललित जांगिड अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 04**

:आदेश::

दिनांकः– 06.06.2022

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व की धारा 131–136 के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया गया प्रार्थना पत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा लूदराडा पटवार हल्का महिलावास में खातेदारी खेत खसरा संख्या 559/247 रकबा 2.2177 हैक्टयर भूमि आई हुई है। उपरोक्त भूमि का मूल खसरा संख्या 247 रकबा 54.15 बीघा का थ जो मूल खातेदार मोहनराम द्वारा अपना 3/4 हिस्सास अपने भाईयों खंगारसिंह ,मूलसिंह,विशनसिंह को जरिये ब्ख्शीश नामा दस्तावेज के हस्तान्तरण कर उपरोक्त दस्तावेज दिनांक 06.06.2016 को पंजीयन करवाया जिससे उपरोक्त मूल खसरा संख्या 247 रकबा 54.15 बीघा के खातेदार विप्रार्थी संख्या 01 ता 04 हुए जिनके द्वारा आपसी सहमति से मौखिक बंटवाडा कर प्रत्येक के 1/4 हिस्सें के प्रार्थना पत्र कें संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुरूप काश्त की जाती रही ,मौके पर सभी खातेदार आपसी सहमति से काश्त करने से राजस्व रेकर्ड में विप्रार्थी संख्या 01 ता 04 के नाम से अलग–अलग भमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई जिससे विप्रार्थी संख्या 01 के नाम से 556/247 रकबा 1.23 हैक्टयर व खसरा संख्या 558/247 रकबा 0.9712 हैक्टयर तथा विप्रार्थी संख्या 2 के नाम से खसरा संख्या 247 रकबा 2.2177 हैक्टयर विप्रार्थी संख्या 03 के नाम से खसरा संख्या 560/247 रकबा 2.2177 हैक्टयर व विप्रार्थी संख्या 04 के नाम से खसरा संख्या 559/247 रकबा 2.2177 हैक्टयर दर्ज है विप्रार्थी संख्या 04 द्वारा माफिक हिस्से व मौके पर काबज कास्त भूमि जो विप्रार्थी संख्या 04 को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्राप्त हुथी थी जरिय पंजीकृत विक्रेय विलेख प्रार्थी को बेचान कर स्वंय की प्राप्त हक हिस्सा प्रार्थी को भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा नकल लिये जाने प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि प्रार्थी को प्राप्त भौतिक कब्जे व राजस्व नक्शे में भिन्नता है पटवारी हल्का द्वारा लिपिकीय त्रुटि द्वारा प्रार्थी द्वारा ,खरीद भूमि की तरमीम गलत कर दी गई है जिसे दुरूस्त फरमाया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया ।

विप्रार्थीगण द्वारा इकबली जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शानुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु सहमति जाहिर की गई । तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्रांक भू.अ./2022/1175 दिनांक 25.05.2022 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकबहस पक्षीय सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन किया । तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत फर्द दिनांक 02.05.2022 का अध्ययन से यह तथ्य सामने आया कि पक्षकारन द्वारा ग्राम लूदराडा पटवार मण्डल महिलावास के मूल खसरा संख्या 247 के खातेदारो द्वारा फर्द दिनांक 02.05.2022 के संलग्न नक्शा किश्तवार पर पक्षकारन द्वारा माफिक परिशिष्ट 'A' अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने बाबत् सहमति जाहिर की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पक्षकारन के आपसी सहमति अनुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम लूदराडा पटवार मण्डल महिलावास तहसील सिवाना के मूल खसरा संख्या 247 की तरमीम मौका फर्द दिनांक 02.05.2022 के संलग्न परिशिष्ट 'A' अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। फर्द दिनांक 02.05.2022 के संलग्न परिशिष्ट 'A' उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैस सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 06.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)